राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-६२३२/२००६

श्रीमती मछला देवी बनाम राजस्थान राजस्थान राज्य

--

दिनांक:२०.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री मनिश शर्मा, अधिवक्ता अभियुक्ता-प्रार्थिया की ओर से

श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

श्री बीरी सिंह, अधिवक्ता, अभियोगी की ओर से

--

अभियुक्ता-प्रार्थिया द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-४५३/२००६ पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर अपराध अन्तर्गत धारा ३६३, ३ ६६ व ३६८ भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्ता- प्रार्थिया श्रीमती मछला देवी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना वर्तमान में कहीं भी लम्बित नहीं होना बताया गया है, जिसका खण्डन अभियोगी के विद्वान अधिवक्ता ने भी नहीं किया है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी एवं अभियोगी की पुत्री साधना के अन्तर्गत धारा १६४ जाप्ता फौजदारी में दिये गये बयानों का भी अवलोकन किया गया, जिसमें उसने यह कथन किया है कि उसने स्वयं ने रिकेंश को बुलाया था तथा उसकी ही जिद्ध पर वह उसे जयपुर लेकर गया और वे वैष्णो देवी भी घूमने गये तथा लौटने के बाद उन्होंने आर्य समाज में शादी की थी। अभियुक्त-प्रार्थिया रिकेंश की माता है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्ता की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थिया को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्ता- प्रार्थिया का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थिया श्रीमती मछला देवी पत्नी स्व.

गणेशी लाल शर्मा निवासी केतन दरवाजे के पास, गोपालगढ़, भरतपुर को पुलिस थाना-मथुरा गेट, भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-४५३/२००६-में गिरफ्तार किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रूपये **१०,०००/-** (**दस** हजार रूपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये **५,०००/-- ५,०००/-(पांच-पांच हजार रूपये मात्र)** की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

१. यह कि प्रार्थिया पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगी।
२. यह कि प्रार्थिया इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी।
३. यह कि प्रार्थिया न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी।
४. यह कि प्रार्थिया भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगी।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल)